न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 112/2024
अनवान : –

1. योगेश पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. विमला देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सन्तोष देवी पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. अनिता रानी पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/282 की कुल 5.9200 हैक्ट भूमि में से 3/20 हिस्सा भूमि पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है तथा पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी खाता संख्या 465/282, मृत्यु प्रमाण पत्र पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तोवज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/282 की कुल 5.9200 हैक्ट भूमि में से 3/20 हिस्सा भूमि पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वादी के पिता पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/282 की कुल 5.9200 हैक्ट भूमि में से 3/20 हिस्सा भूमि पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 112/2024

अनवान : –

1. योगेश पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. विमला देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सन्तोष देवी पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. अनिता रानी पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 112 सन 2024 निर्णय दिनांक – 20/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/282 की कुल 5.9200 हैक्ट भूमि में से 3/20 हिस्सा भूमि पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्र भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/3/24...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:57 IST
Reason: SelfAttested